उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं0–14/2023–24

CANARA BANK

बनाम्

M/S HINDUSTAN FABRICATOR

–: आदेश :–

04.10.2023

प्राधिकृत पदाधिकारी, CANARA BANK, WESTERN AVENUE, NAYAMORE, BOKARO STEEL CITY द्वारा धारा 14 (1) and (2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSESTS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के तहत विपक्षी M/s HINDUSTAN FABRICATOR, Prop. Radhey Shyam Dubey S/O Late Kedar Nath Dubey, At.- Dubey Niwas, Bari Co-operative Colony, Plot No. 287, Tetulia, Bokaro-827012 के विरूद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ करते हुए उभय पक्षों को अपना–अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष Canara Bank की ओर से वरिष्ठ प्रबंधक के द्वारा दलील दिया गया कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (Double storied residential building constructed by brick masonry and RCC/column/lintel/beam/ roofing in the name of Smt. Beena Devi W/o Radhey Shyam Dubey, Dubey Niwas, Bari Plot No. 287, Bari Co-operative Colony, Tetulia Bokaro, Jharkhand, vide verification of records of landed property at Registrar/Sub-Registrar's office, Bokaro. Survey No. 313, Co-operative Plot No. 287, Khata No. 40, Mouza No. 38, Mouza Tetulia, P.S. Chas, Bokaro, Area-418.75 sq.m.) को गिरवी रखते हुए बैंक से 1,25,00,000.00 (एक करोड़ पच्चीस लाख) रूपये ऋृण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋृण की वापसी में अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण ऋणकर्त्ता का खाता दिनांक–06.11.2022 को ही एन0पी0ए0 हो गया है। वर्तमान में आवेदन की तिथि तक ऋणकर्त्ता पर कुल रूपये 1,24,35,112.00 के साथ ब्याज एवं अन्य शुल्क का बकाया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक

के द्वारा SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजुद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया है और सिर्फ टाल–मटोल किया जाता रहा। फलस्वरूप SARFAESI ACT-2002 की धारा–14 (1) & (2) के तहत विपक्षी की सम्पत्ति पर दखल–कब्जा प्राप्त करने में शांति व्यवस्था भंग नहीं हो इसके लिए उनके द्वारा दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की माँग की गई है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि उनके मुवक्किल के द्वारा बैंक से लिए गए ऋण के विरूद्ध किस्तों का भूगतान नियमित रूप से प्रतिमाह किया जाता रहा है। किन्तु कोविड–19 के दौरान उनका व्यवसाय खराब हो जाने के कारण समय पर किस्त का भूगतान नहीं कर सके। फलस्वरूप उनका खाता N.P.A को गया है। वर्तमान में उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तुरंत ऋण चुकाने में असमर्थ है। विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी कहा गया कि उनके मुवक्किल समझौते के माध्यम से ऋण वापस करना चाहते है, इसके लिए उन्होंने बैंक को लिखित में प्रस्ताव भी दिया है, जिसपर बैंक सहमत है। विपक्षी शीघ्र अपनी अन्य सम्पत्ति को बेचकर बैंक का ऋण वापस देगें। अन्त में उनके द्वारा ऋण चुकाने हेतु कुछ और समय की माँग की गई है।

प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा दाखिल आवेदन पत्र, अभिलेख में संधारित कागजात एवं विद्वान अधिवक्ता के दलील के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई की गई। बावजुद इसके विपक्षी के द्वारा बकाया ऋण वापसी की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और न ही उनके द्वारा अब तक ऐसा कोई आधार/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रतीत हो कि उनके द्वारा ऋण की राशि वापस कर दी जाएगी। विपक्षी के द्वारा बैंक को दिए गए प्रस्ताव के अनुसार उन्हें दिनांक–25.09.2023 तक सम्पूर्ण ऋण की राशि (एक करोड़ सत्तर लाख) ब्याज सहित वापस कर दिया जाना था, किन्तु उनके द्वारा अब तक मात्र एक लाख रूपये ही वापस किया गया है। प्रस्ताव में उल्लेखित तय समय–सीमा भी समाप्त हो चुकी है, इसके बाद भी

प्रतिवादी के द्वारा और समय का माँग किया जाना, उनके ऋण न चुकाने की मंशा को दर्शाता है। ऐसे में प्रतिवादी को और समय दिया जाना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं होगा।

वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT-2002 की धारा 14(1) एवं (2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, CANARA BANK, WESTERN AVENUE, NAYAMORE, BOKARO STEEL CITY द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि–व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

4.10.23

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

04.10.23

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2024.07.06 16:59:31 +05:30
Location: 192.168.1.109